न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2022
दायर दिनांकः 03.01.2022
निर्णय दिनांक 10.06.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, संदीप माथुर, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द
—— **प्रार्थी**

बनाम

श्री भग्गु जोशी पिता गेहरीलाल जोशी निवासी नदी दरवाजा, आमेट थाना आमेट जिला राजसमन्द
—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

जब्तशुदा मिलावट तरल पैट्रोलियम पदार्थ 2450 लीटर मय 49 प्लास्टिक ड्रम अवैध रूप से संग्रहित किये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री ललित साहु, अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2021 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि भोपाजी के बाड़े में एक व्यक्ति करीब 40—50 प्लास्टिक के ड्रमों के साथ बैठा है, उन ड्रमों से डीजल रीस रहा है। उक्त पर सहायक उप निरीक्षक मय जाब्ता मुखबीर द्वारा बताये गये स्थल भोपाजी के बाड़े के अन्दर समय प्रातः 11.15 पर पहुंचे, जहां एक आदमी 40—50 प्लास्टिक ड्रमों के साथ बैठा था, जिसका नाम एवं ड्रमों के बारे में पूछने पर अपना नाम भग्गु जोशी पिता गेहरीलाल जी जोशी जाति डाकोत उम्र 38 वर्ष निवासी नदी दरवाजा थाना आमेट बताते हुए ड्रमों में डीजल होना बताया। मौके पर रखे ड्रमों में भरे तरल पदार्थ को संग्रहित कर अपने अधिकार में रखने बाबत श्री भग्गु जोशी से अधिकार पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर रखे कुल 49 प्लास्टिक ड्रम जिनमे 19 बरंग नीलें एवं 30 बरंग हरे तरल पदार्थ से सने, खाली पाईप एक बरंग हरा जिसकी लम्बाई 289 सेमी डीजल से सने कीप एक पांच लीटर एवं प्लास्टिक का कीमा एवं एक छलनी (जारी) एक प्राइवेट वाहन में रखवाया जाकर थाना आमेट पर लाया गया गया। इस पर आगे की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ता (मुझे) दूरभाष पर सूचित किया गया, जिस पर में थाना आमेट पर पहुंचा जहां थाना परिसर में रखवासे हुए 49 ड्रमों को चौक किया गया तो सभी ड्रमों में तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। सभी ड्रमों में भरे हुए पदार्थ को रूबरू मौतबीरान के द्वारा देख व सुंधकर जांच की तो पैट्रो पदार्थ की गंध आ रही थी। उक्त ड्रमों में संग्रहित तरल पदार्थ के बारे में भग्गु जोशी से पूछताछ करने पर बताया कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रत्येकः ड्रम में 50 लीटर मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है, जिसके क्रम में भग्गु जोशी द्वारा उक्त मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ के क्रम में कोई वैध दस्तावेज, बिल बिल्टी, चालान एवं वैध अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। सभी ड्रमों में भरे मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ की वास्तविक मात्रा का सत्यापन विधिक माप, संग्रहित पदार्थ की डेन्सिटी थर्मामीटर एवं हाइड्रों मीटर जार में करवाने हेतु मै0 सम्पत ऑटो मोबाईल्स, आमेट पैट्रोल पम्प के कर्मचारी श्री रोशन लाल गुर्जर को तलब कर करवायी गई तो मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ की डेन्सिटी 845/30 855.3 पायी गई जो कि पैट्रोलियम पदार्थ डीजल की डेन्सिटी के समान है। श्री भग्गु जोशी का उक्त कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का अपराध होना पाये जाने पर सभी 49 ड्रमों में एक समान मिलावटी पैट्रालियम 50 लीटर प्रत्येक ड्रम में संग्रहित कुल 2450 लीटर को जब्त किया गया। उक्त ड्रमों में संग्रहित समस्त मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ में से प्रत्येक ड्रम में से एक–एक लीटर की बोतलों में सेम्पल लिया गया, उक्त बोतलों को एक बड़े ड्रम में खाली किया गया एवं उसमे से वापिस तीन एल्यूमिनीयम की एक–एक लीटर की बोतलों में नमूना संग्रहित किया गया, जिसे लकड़ी के बॉक्स में रख सीलचीट किया, जिस पर मार्क ए, ए1, ए2 अंकित कर लगाई गयी। उक्त मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ के लिये गये तीन सेम्पल में से एक सेम्पल श्री भग्गु जोशी एवं दो सेम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाये जाने हेतु थाना की अभिरक्षा में सिपुर्द किये गये। इस प्रकार श्री भग्गु जोशी पिता गेहरीलाल जोशी निवासी नदी दरवाजा, आमेट थाना आमेट जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से पुलिस थाना, आमेट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ 2450 लीटर मय 49 प्लास्टिक ड्रम को को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है, अतः धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित साहु ने उपस्थिति दी।

बहस हेंतु नियत पेशी दिनांक को अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्तशुदा मिलावटी तरल पैट्रोलियम पदार्थ 2450 लीटर मय 49 प्लास्टिक ड्रम को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

मैंने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार अप्रार्थी से मौके पर रखे ड्रमो में भरे तरल पदार्थ जिसे वह अपने अधिकार में रखकर परिवहन कर रहा था। उक्त संबंध में अप्रार्थी से अधिकार पत्र मांगा तो नही होना बताया। अप्रार्थी द्वारा सभी 49 प्लास्टिक के प्रत्येक ड्रम में 50 लीटर मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना बताया तथा अप्रार्थी से संग्रहित मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ की बिल बिल्टी, चालान

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एवं वैध अनुज्ञापत्र के बारे में पूंछा तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। जिसे जब्त कर सभी ड्रमो में भरे तरल पदार्थ अनुमानित मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ की विधिक माप संग्रहित पदार्थ की डेनसिटी थर्मामीटर एवं हाईड्रो मीटर जार से जॉच करवायी गई तो मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 845 / 30 = 855.3 पाई गयी जो कि पट्रोलियम पदार्थ डीजल की डेन्सिटी के समान थी। अर्थात प्रत्येक ड्रम की कुल क्षमता 50 लीटर हो प्रत्येक ड्रम में 50–50 लीटर मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ भरा होने से सभी 49 ड्रमो में कुल 2450 लीटर तरल पट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। उक्त संबंध में अप्रार्थी से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा न तो कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही संग्रहित मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ की बिल बिल्टी, चालान एवं वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रुप से संग्रहित किया जाना पाया जाता हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 2450 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 49 प्लास्टिक ड्रम को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 2450 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 49 प्लास्टिक ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 2450 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 49 प्लास्टिक ड्रम का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद